प्रेस विज्ञप्ति

04/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 28/11/2024 से 30/11/2024 को दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रस्ट वॉलेट सीक्रेट वाक्यांश और 47 लाख रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई। इसके अलावा निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त की गई है और विभिन्न बैंक खातों में लेनदेन पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई।

ईडी ने सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा दर्ज दो प्राथमीकियों के आधार पर सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक रोजगार और फ़िशिंग घोटालों आदि के माध्यम से उत्पन्न 640 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी के धन के संबंध में जांच शुरू की, जिसे 5000 से अधिक दूसरों के नाम पर बनाए गए भारतीय बैंक खातों (म्यूल इंडियन अकाउंट) के माध्यम से स्तरित करके निकाला गया और बाद में "पीवाईपीएल"- एक यूएई आधारित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किया गया। साइबर धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा दुबई में मास्टर/वीजा इंडियन बैंक एटीएम कार्ड के माध्यम से नकद में निकाला गया था। कार्यप्रणाली का एक सचित्र उदाहरण नीचे समझाया गया है:

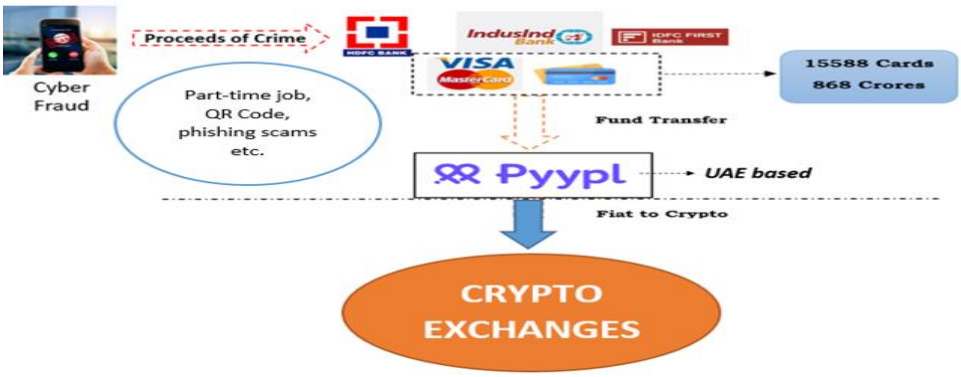

ईडी की जांच कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस) और क्रिप्टो ट्रेडर्स की सांठगांठ का पर्दाफाश करती है, जो एकत्र किए गए अपराध की आय को वैध बनाने के लिए एक व्यवस्थित फॉर्मैट में मिलकर काम कर रहे हैं।

तलाशी कार्रवाई के दौरान दो चार्टर्ड अकाउंटेंट -अजय और विपिन यादव और एक क्रिप्टो व्यापारी-जितेंद्र कासवान को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट ग्रुप के माध्यम से विदेशों में बैठे हैंडलर्स की मदद से संचालित बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पता चला है। म्यूल खाते खोलने, नकदी परिचालन और क्रिप्टो की खरीद के बारे में निर्देश इस समूह खाते पर हैंडलर द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सैकड़ों बैंक खातों में डेबिट/क्रेडिट लेनदेन और क्रिप्टो मुद्रा की खरीद का विवरण देने वाले 2000 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य आरोपी सीए अशोक कुमार शर्मा के परिसर में तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी टीम पर हमला किया गया था और परिसर में प्रवेश करने के लिए बल के साथ रोका गया

था। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति-राधेश्याम शर्मा भाई अशोक कुमार शर्मा,जो फ़रार था, को गिरफ्तार किया।

(जब्त एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और टिकट)